छत्तीसगढ़ शासन

Chhattisgarh TRTI TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

प्रतिवेदन क्रमांक :

शासकीय उपयोग हेतु

धुरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक :

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

धुरवा जनजाति
का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन

शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.)

संचालक

-: अध्ययन एवं प्रतिवेदन :-

डॉ. रूपेन्द्र कवि

डॉ.राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	विवरण	पृ.क्र.
1	अध्याय 1	धुरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन	2
2	अध्याय 2	भौतिक संस्कृति	5
3	अध्याय 3	जीवन संस्कार	16
4	अध्याय 4	सामाजिक संरचना	25
5	अध्याय 5	आर्थिक जीवन	29
6	अध्याय 6	राजनीतिक संगठन	42
7	अध्याय 7	धार्मिक जीवन	44
8	अध्याय 8	लोक कला एवं मनोरंजन	47
9	अध्याय 9	विकास एवं परिवर्तन	49

अध्याय–1

परिचय –

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति को अपनाये हुए निवासरत् है। बाह्य समाज इन्हें नेटिव, वनवासी, वन्य जनजाति, देशज, आदिमजनजाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है जबकि उन समुदायों का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में इन समाजों के विकास की दृष्टि से एवं राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष संक्षिपित एवं विकासीय प्रावधान किये गये। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् भारत सरकार द्वारा राज्यों के अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी किया गया। 1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत् जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में धुरवा जनजाति अनुक्रमांक 16 पर गोंड की उपजाति के रुप में अंकित है। धुरवा जनजाति छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य में निवासरत है।

धुरवा जनजाति का निवास छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में हैं। यह उड़ीसा राज्य में भी पाये जाते हैं। जो कि बस्तर जिले के दरभा, बास्तानार, बकावंड व जगदलपुर तहसील तथा सुकमा जिले में विस्तारित है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं–

1. धुरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. धुरवा जनजाति में विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

अध्ययन प्रविधि

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार प्रविधि द्वारा किया गया। सूचनाओं के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया। द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथो, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का संपादन एवं विश्लेषण कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

परिचय एवं उत्पत्ति:

धुरवा जनजाति की उत्त्पत्ति के विषय में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक रुप से धुरवा जनजाति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। बस्तर में धुरवा जनजाति का इतिहास लगभग 650 वर्ष पुराना है। धुरवा वारंगल से बस्तर चौदहवीं शताब्दी में काकतीय वंश के संस्थापक राजा अन्नमदेव के साथ आए थें धुरवा नाम के संबंध में अनेक मत भिन्नताएँ है। पूर्व में ये परजा कहलाते थे जबकि इनके मुखिया को धुरवा कहा जाता है। लेकिन धीरे–धीरे सभी को धुरवा के नाम से जाना गया (बेहार–1992)। एक अन्य मत के अनुसार ''धूर'' अर्थात् पूर्व काल से रहने के कारण इन्हें धुरवा कहा गया (झा–2006)। एक अन्य मत के अनुसार इन्हें धुरवा नाम बस्तर राज की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी द्वारा दिया गया (थुसू–1968)।

बोली:

धुरवा जनजाति के सदस्य अपने विचारों या भावनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए विशिष्ट बोली का प्रयोग करते हैं,जिसे धुरवी कहा जाता है। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित है। बाजारों एवं बाह्य संपर्क के कारण यह जनजाति धुरवी के अलावा हल्बी एवं हिन्दी का भी प्रयोग करने लगे हैं।

प्रजातीय लक्षण:

धुरवा जनजाति के शारीरिक लक्षणों में दीर्घशिरस्क, नाक मध्यम से चौड़ा, होंठ मध्यम से मोटा, आँख भूरी से काली, चेहरा छोटा, सकरा एवं चौड़ा मस्तक, कम विकसित, बालों का रंग भूरा से काला तथा बालों की प्रकृति लहरदार व घुंघराले होते हैं और त्वचा का रंग गहरा भूरा से काला है। इनका कद मध्यम होता है। उपरोक्त शारीरिक लक्षण प्रोटो आस्ट्रेलायड प्रजातीय तत्व के अंतर्गत आते हैं।

अध्याय–2

भौतिक संस्कृति: धुरवा जनजाति समुदाय, बस्तर जिले के पूर्वी पहाड़ी तथा वन क्षेत्रों में निवास करती है, इस कारण उनके सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक भौतिक संस्कृति में पर्यावरण का प्रभाव दिखाई देता है। धुरवा जनजाति भौतिक संस्कृति मानव के प्रकृति पर निर्भरता का श्रेष्ठ उदाहरण है। धुरवा जनजाति घने जंगल, पहाड़, नदी–नाले के क्षेत्र में निवास करते हैं। इस कारण इनकी भौतिक संस्कृति में प्रकृति का गहरा प्रभाव है। साथ ही आधुनिकता एवं बाहरी प्रभाव से अल्प प्रभावित होने के कारण इनकी भौतिक संस्कृति का मूल स्वरुप विद्यमान है। धुरवा जनजनजाति की भौतिक संस्कृति का विवरण निम्न है :–

ग्राम :

धुरवा जनजाति के ग्राम पहाड़ी क्षेत्रों में नदी–नाला एवं वन के समीप बसा हुआ है। धुरवा जनजाति के सदस्य ग्राम में मुरिया, माड़िया, हलबा, भतरा, परजा, गोंड, माहरा, पनका, राउत, सुंडी आदि जाति–जनजाति के साथ निवास करते हैं, किन्तु इनके मुहल्ले पृथक हैं।

धुरवा ग्रामों की बनावट गोलाकार या दीर्घवृत्तीय है, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है, जिससे कई गलियां अलग–अलग मुहल्ले में जाती है। ग्राम कई मोहल्लों में बँटा होता है। ग्राम में एक मुख्य मार्ग होता है, जिसमें कई छोटी–छोटी 'कोरी डांड (गलियाँ) जुड़ती है। गलियों के दोनों ओर मकान होते हैं। धुरवा ग्रामों में आम, इमली, साल, महुआ, बरगद, पीपल, नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।ग्राम के मुख्य या मध्य स्थल में सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन, बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता की मूर्ति स्थापित होती है। शमशान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पूर्व में धुरवा जनजाति के सदस्य लकड़ी से निर्मित कुंआ, डोढ़ी, नदी–नाले का पानी पीते थे, वर्तमान में हैण्डपम्प एवं नल (पाईप लाईन) के जल का उपयोग करने लगे हैं।

आवास :

धुरवा जनजाति का आवास चारों ओर से लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में ''कोठा'' (पशुशाला) तथा ''छेली कोठरली'' (बकरी रखने का कक्ष) होता है। आंगन में ही ''कुकड़ा कोंटी'' (मुर्गा–मुर्गी रखने का स्थान) ''बराहागुड़ा'' (सुअर रखने का स्थान) होता है। धुरवा आवास में पाये जाने वाले विवरण निम्नानुसार है :–

अ.परछी (बरमदा)–धुरवा जनजाति के आवास में आंगन से घर में प्रवेश करने पर प्रथम कक्ष ''परछी'' होता है,यह लम्बा होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में ''रसोई'' तथा दूसरे भाग में बैठक तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थान होता है। इससे लगा दो ''बाकरा'' (कमरा) होता है।

ब. प्रथम कमरा – इसके दो भाग होते हैं एक भाग में भंडारण हेतु धान कोठी तथा दूसरे भाग में देवी–देवता का चबूतरा होता है।

स.द्वितीय कमरा– यह शयन कक्ष होने के साथ–साथ कपड़े व अन्य सामान रखने का कमरा होता है।

आवास निर्माण– आवास निर्माण की निम्न प्रक्रिया है –

अ. भूमि चयन–

आवास निर्माण हेतु पानी, आवागमन तथा बाड़ी हेतु पर्याप्त जगह देखकर घर बनाने हेतु स्थल चयन करते हैं तथा चयनित भूमि को पुजारी, सिरहा (बैगा) या गुनिया से शुभ–अशुभ प्रभाव का विचार करवाते हैं अर्थात् चयनित भूमि पर आवास निर्माण करने से परिवार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का आंकलन करवाते हैं। चयनित भूमि की उपयुक्तता जांच करने हेतु चयनित स्थल में एक हाथ लम्बा, चौड़ा तथा गहरा गड्ढा खोदकर पानी भर देते हैं, यदि पानी देर से सूखता है तो शुभ मानते हैं और यदि पानी जल्दी सूख जाता है तो उस भूमि को आवास निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं मानते है। आवास ''डांड'' (ग्रामीणों के अनुसार देव/देवी के आवागमन का मार्ग) को छोड़कर बनाया जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार आवास बनाया जाता है। सामान्यतः आवास का आकार आयताकार होता है। धुरवा निवास क्षेत्र में पतले परतदार चट्टान मिलते हैं जिसके पतली परतों को निकाल कर धुरवा जनजाति के सदस्य आवास का निर्माण करते हैं। ऐसे आवास की दीवारे, फर्श व छत सभी उक्त पत्थरों से निर्मित होते हैं।

निर्माण–

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व परिवार का मुखिया सिरहा या पुजारी की सहायता से घर के ईष्ट देवता एवं धरती की चाँवल, नारियल, सिंदूर (लाली), दीप, होम, धूप से पूजा करता है। धुरवा जनजाति के आवास का मुख्य द्वार दक्षिण या उत्तर दिशा में बनाते हैं। आवास में प्रवेश एवं निकास के लिये एक ही द्वार होता है।

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व एक स्थान पर आम की लकड़ी का खूंटा गाड़ देते है, यह आम की लकड़ी का खूंटा पूजा कक्ष हेतु तय स्थान पर ही गड़ाते हैं। इसके पश्चात् भूमि पर रस्सी एवं फावड़े की सहायता से नींव हेतु निशान चिन्हित कर लिया जाता है तथा पानी डालकर फावड़े की सहायता से ''पाया'' (नींव) खुदाई करते हैं। इसके पश्चात् मिट्‌टी में धान का ''खड़'' (पैरा या पुआल) एवं पानी मिलाकर पैर से दबाते हैं तथा अच्छी तरह मिल जाने के बाद मिट्‌टी का गोला बनाकर नींव को भरते हैं तथा पैर से दबाते हैं। नींव भरने के बाद चारों ओर लगभग एक फिट ऊंची दीवार बनाते हैं और अंदर मिट्‌टी भर देते हैं, यह घर के फर्श का स्तर होता है। फर्श के सतह से दीवार बनाते हैं और चौखट लगाते हैं। फर्श की सतह से लगभग तीन–चार फीट ऊपर छोटी खिड़की लगाते हैं। दीवार में अंदर की ओर आवश्यकतानुसार ''आला'' बनाते हैं। दीवार इच्छित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गोल या चौकोन लकड़ी की ''पाटी'' रख दिया जाता है, इसके ऊपर निश्चित दूरी पर 'कांडा'' लगाकर उसके ऊपर पतला बांस या लकड़ी लगाते हैं, इसे रस्सी या कीले की सहायता से लगाते हैं। इसके ऊपर खपरे को ''छां'' (ढक) दिया जाता है। पूर्व में बासं या झाड़ियों की बाड़ या बाड़ी बनाकर उसमें दोनों ओर मिट्‌टी छाबकर दीवार बनाते थे।

दीवार को चिकना या समतल बनाने या दरार से बचाने हेतु लाल मिट्‌टी से छाबते हैं तथा सूखने के पश्चात् क्रमशः गोबर व काली मिट्‌टी से तथा अंत में छुई मिट्‌टी से दीवारों की पुताई करते हैं। फर्श को गीली मिट्‌टी से समतल करते हैं तथा सूखने के पश्चात गोबर से लीपते हैं।

सजावट–

आवास की आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु मिट्टी, गोबर एवं दीवार की पुताई हेतु छुई, गेरू माटी एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आवास की आंतरिक सज्जा हेतु आला के चारों ओर मिट्टी की चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर दीवार के रंग को अलग रंग की पुताई की जाती है, दीवार से फर्श के किनारे तक सफेद, काले–नीले रंग की पुताई किया जाता है व फर्श पर गोबर लीपकर किनारे पर पट्टी बनाकर आंतरिक सज्जा किया जाता है। कुछ घरों में मुख्य द्वार के चारों ओर मिट्टी थाप कर आकर्षक सजावटी आकृति बनाया जाता है, जिसे दीवार के रंग से अलग रंग पुताई कर सुन्दर बनाया जाता है।

वर्षाकाल में आवास के बाहरी दीवार, नीचे की मिट्टी, रंग खराब हो जाता है, जिसे शीत ऋतु में मरम्मत, लिपाई–पुताई किया जाता है।

आवास व्यवस्था –

धुरवा जनजाति के आवास के सामने आंगन होता है। आंगन के एक किनारे मिट्टी का "चौंरा" (चबूतरा) होता है, जिसमें बांस या त्रिशूल या पत्थर की मूर्ति होती है, जिसमें समय–समय पर धूप, अगरबत्ती, सिंदूर से पूजा किया जाता है। आंगन की मुख्य द्वार से "परछी" में प्रवेश करते हैं। "परछी" बैठक कक्ष व भोजन कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। "परछी" के एक कोने में "ढेकी" (धान कुटने का यंत्र), जाता (दाल पीसने का यंत्र,), "मूसर" लगा होता है। धुरवा जनजाति के कुछ लोग घरों में "परछी" के कोने को रसोई पकाने में उपयोग करते हैं। 'परछी" से लगा हुआ रसोई सह भंडार कक्ष के एक भाग में अनाज भंडार हेतु "कोठी" होता है। इसे बनाने हेतु 2–3 फीट ऊंचे खम्बे गाड़ कर उस पर आड़ी लकड़ियाँ रखकर मंच बना लेते हैं तथा चौकोन आकार में मिट्टी की दीवार बनाकर कमरानुमा "कोठी" बना लेते हैं, जो ऊपर की ओर खुला रहता है।

‘ ‘कोठी’’ के समीप में देवी–देवता का चबूतरा होता है। दूसरे भाग में मिट्टी का चूल्हा होता है। चूल्हे से थोड़ी दूर में दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री, मसालों आदि को रखा जाता है। ‘‘परछी’’ से ही शयनकक्ष में प्रवेश करते हैं। इसमें शयन के साथ–साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं को रखा जाता है। इस कक्ष में कपड़े व अन्य आवश्यक सामानों को भी रखा जाता है।

स्वच्छता एवं सफाई –

घर की दैनिक एवं विशिष्ट अवसरों पर साफ–सफाई किया जाता है। प्रातः स्त्रियाँ आंगन को झाड़ू से बुहारती है। गोबर को पानी में घोल कर आंगन में ‘छड़ा’’ (छिड़कना) लगाती है। घर को दिन में दो बार सुबह व शाम बुहारते हैं तथा साप्ताहिक गोबर पानी के घोल से लीपती हैं। पशुशाला के गोबर को घर से थोड़ी दूर में बने गोबर गड्ढे में फेंककर झाड़ू बुहार कर साफ करती है। घर के दीवारों की पुताई त्यौहारों तथा विवाह आदि उत्सवों से पूर्व किया जाता है।

पशुगृह –

धुरवा परिवार पशुओं की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए आवास के समीप ही पशुशाला का निर्माण करते हैं।

व्यक्तिगत स्वच्छता एवं श्रृंगार –

धुरवा जनजाति के सदस्य प्रातः काल दैनिक कर्म से निवृत्त होने के उपरांत ‘‘सरगी’’ (साल), छींद, करंज, नीम या अन्य दातौन से दांतो की सफाई करते हैं। वर्तमान में अनेक सदस्य दांतो की सफाई हेतु दंत मंजन, गुड़ाखू तथा टूथ ब्रश–पेस्ट उपयोग करने लगे हैं।

इसके पश्चात् धुरवा पुरूष–महिला सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वे शीत ऋतु में अनियमित तथा ग्रीष्म ऋतु में नियमित रूप से दोपहर मे स्नान करते हैं। वर्षाकाल में कृषि कार्य के बाद दोपहर या शाम को स्नान करते हैं। नहाते समय शरीर की सफाई हेतु साबुन, तथा बालों को धोने के लिये काली मिट्टी या शैम्पू का उपयोग करते हैं। शरीर को रगड़ने के लिए बाँस के रेशे (टोकरी बनाने के लिए तैयार पट्टियों से निकला रेशा) खपरैल तथा पत्थर के टुकड़े का उपयोग करते हैं। पूर्व में वर्षाकाल में खेत में होने वाले पौधे से सिर धोते थे। कपड़ों को गर्म पानी और राख में उबालकर धोते हैं। वर्तमान में साबुन एवं वाशिंग पावडर का उपयोग भी करने लगे है। स्नान घर के समीप या नदी–नाला, तालाब, हैण्डपंप, कुंआ आदि जल स्त्रोत में करते हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर एवं बालों में टोरा तेल, सरसों तेल, नारियल तेल लगाते हैं। स्त्रियाँ पूर्व में सिर के पिछले हिस्से में बालों को बांधती थी, वर्तमान में फीता तथा क्लीप की सहायता से बेनी बनाने लगी है। माथे में बिन्दी का उपयोग करती हैं। कुछ परिवारों में काजल, पावडर, क्रीम का उपयोग भी करने लगे हैं।

धुरवा स्त्री–पुरुष श्रृंगार पर विशेष ध्यान देते हैं। पुरुष अपनी शिखा के चारों ओर के बाल को छोड़कर शेष बाल को साफ करवा देते हैं जिससे मध्य भाग का बाल लम्बा हो जाता है। इस लम्बे बाल को जुड़ा बनाते हैं। यह धुरवा पुरुषों की विशेष पहचान है।

बालों तथा नाखून की सफाई–

धुरवा जनजाति के पुरूष सदस्य एक दूसरे का बाल काटते हैं। पूर्व में धुरवा पुरूष जूड़ा बांधते थे या लंबे बाल रखते थे, किंतु वर्तमान में छोटे बाल रखते हैं। पिता अपने बच्चों का बाल काटता है। पूर्व में बच्चे के ''भंवर'' (सिर के ऊपरी–मध्य भाग) के पास गोलाकार रखते थे, शेष सिर का मुंडन कर देते थे।

एक अन्य केश विन्यास में पिता अपने बच्चे के सिर के सामने के भाग में बाल को लंबे रखकर शेष सिर के बाल को छोटे–छोटे काट देते थे, इसे ''कोडरी सिंगा'' अर्थात् कोडरी (हिरण) के सिंग के समान विन्यास कहते थे। बाल की कटाई हेतु पहले ''छूरा'' (चाकू) का उपयोग करते थे। वर्तमान में कैंची से बाल काटते हैं। बालों को छोटे रखने के कारण दो से तीन माह में बालों को काटते हैं।

पुरूष एक–दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं। पहले छूरा और वर्तमान में ब्लेड का उपयोग करते हैं। पूर्व में माह में एक बार जबकि वर्तमान में साप्ताहिक अंतराल में दाढ़ी बनाते हैं। वर्तमान में बाल एवं दाढ़ी बनाने के लिये नाई की सेवाएं लेने लगे हैं। हाथ–पैर नाखूनों को ''कडरी'' या ''छूरी'' (छोटा चाकू) या ब्लेड से 15–20 दिनों के अंतराल में काटते हैं।

आभूषण–

धुरवा जनजाति के स्त्री–पुरूष श्रृंगार, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं।धुरवा सदस्यों द्वारा धारित प्रमुख आभूषण खोंचा कांटा, क्लीप, चौरी, बारी, खंजा फूली, फुलगुना, डंडी, करिया माला, दीप माला, नानू, डांडा माली, दशाबरत, बांहटा, पोलका खाडू, कांच चूड़ी, टिकी मूंदी (सिक्का अंगूठी), मूंदी आदि है।

धुरवा जनजाति में नजर व बुरे प्रभाव से सुरक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज भी बांधने का प्रचलन हैं।

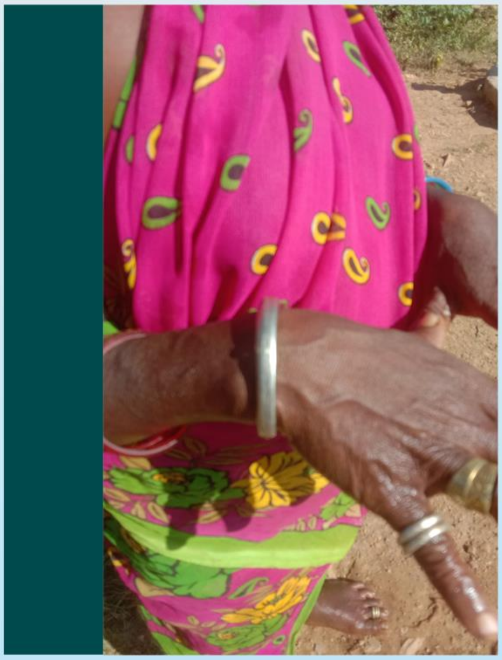

गोदना–

धुरवा जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। यह स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, पुरूष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम या प्रतीक गोदना गुदवाते हैं। धुरवा जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। धुरवा जनजाति में मान्यता है कि गोदना मात्र एक ऐसा आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात् परलोक साथ में जाता है।धुरवा स्त्री–पुरुष श्रृंगार तथा आभूषण के रुप में शरीर के विभिन्न अंगों में गोदना गुदवाते हैं। पुरुष अपने कलाईयों में नाम, चित्र या आकृति बनवाते हैं। स्त्रियाँ अपने चेहरे, बाँह,कलाई, पैरों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनवाते हैं।

धुरवा जनजाति में कन्याओं को विवाह के पूर्व 12–13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। धुरवा जनजाति में मान्यता है कि गोदना कन्या के जवान होने की पहचान है। गोदना बांह व कलाईयों तथा कोहनी की नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियों का गुदना गुदवाती हैं। गोदना गुदवाने के लिये पुराना कपड़ा, 5–7 पैली धान, एक 'पैली' चाँवल तथा 30 से 50 रूपये दिया जाता है। वर्तमान में सामाजिक सम्पर्क तथा विकास के फलस्वरूप गोदना गुदवाने की प्रथा पारंपरिक न होकर आधुनिक मशीनों तथा आकृतियों से भी की हो रही है।

वेशभूषा–

धुरवा पुरुष की वेशभूषा में कमर में पटका, लुंगी तथा शरीर के ऊपरी भाग में बनियान, शर्ट पहनते हैं। वर्तमान में बच्चे तथा युवक शर्ट–पेन्ट, टी–षर्ट पहनने लगे हैं। धुरवा स्त्रियाँ साड़ी को घुटनों तक पहनती है एवं पूरे शरीर में लपेटे रहती हैं।

वर्तमान में धुरवा स्त्रियॉ साड़ी, पेटी कोट, ब्लाऊज पहनने लगी है। बालिका तथा युवतियाँ फ्राक, स्कर्ट–कमीज, सलवार सूट पहने रहते हैं।

धूम्रपान एवं मादक पदार्थ –

धुरवा जनजाति के पुरुष बीड़ी तथा खाल के सुखे पत्ते में तंबाकू भरकर पीते हैं। इसके अलावा स्त्री–पुरुष एवं बच्चे तंबाकू खाते हैं। मादक पेय में छिन्द रस, सल्फी, लांदा एवं शराब का सेवन करते हैं। इनके सामाजिक, धाार्मिक एवं अन्य अवसरों पर देवी–देवता को मदिरा चढ़ाते हैं एवं मादक पेय का सेवन स्त्री–पुरुष करते हैं।

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि जीवन सस्कारों को एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों के साथ पूर्ण किया जाता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रूचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हे जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। धुरवा जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है–

जन्म संस्कार

गर्भधारण व प्रसव –

धुरवा जनजाति में मासिक धर्म के रुकने पर स्त्री में गर्भधारण का निर्धारण होता है। स्त्री के गर्भधारण का ज्ञान होने पर पति सिरहा के घर चाँवल लेकर जाता है। सिरहा पूजा कर पुरुष को प्रसाद स्वरुप चावल देता है। आने वाले संतान की सुरक्षा तथा स्त्री को गर्भावस्था में कष्ट से बचाने की कामना के साथ इस चाँवल को गर्भवती स्त्री को खिलाया जाता है। इसके अलावा गाँव के मंदिर में परदेशीन माता और नंगूर देवी के नाम से भी पूजा करवाते है। गर्भकाल में स्त्री पर कार्य संबंधी निषेध नहीं रहता है। धुरवा जनजाति में प्रसव कार्य घर में ही ग्राम की दो स्त्रियों (पारम्परिक दाई) द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान में प्रशिक्षित दाई या संस्थागत प्रसव होने लगे हैं।

छठी संस्कार –

धुरवा जनजाति में लड़का होने पर नौ दिन में तथा लड़की होने पर सात दिन में छठी संस्कार किया जाता है। कई बार आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर सुविधानुसार एक वर्ष के अंदर कभी भी किया जा सकता है।

छठी के पूर्व तक नवजात शिशु को बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि उनका मानना है, कि डूमा देव नाराज होकर उन्हें हानि पहुँचा सकता है। प्रसूता को दाई तथा अन्य महिला द्वारा तालाब या नाला में ले जाकर हल्दी, चावल, सिंदूर एवं 'मेल' (शराब) की पाँच बूंद टपका कर पूजा करते हैं तथा इस शराब का सेवन दाई करती है।पूजा के बाद इस हल्दी को सरसों या टोरा तेल के साथ मिलाकर माँ और बच्चे को मालिश करते हैं। इस हल्दी तेल को नवजात शिशु को छठी के दिन सभी महिलाएँ लगाती है। तत्पश्चात प्रसूता एवं शिशु को मालिश एवं आगत से सेंकने का काय इस दिन से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन प्रसूता को दाई के साथ बिठाकर साधारण भोजन कराया जाता है तथा इसी दिन से प्रसूता घर के सभी कार्य करती है।

ग्राम के बुजुर्गों द्वारा नवजात शिशु के पास पाँच बूंद शराब टपका कर भी नामकरण किया जाता है। छठी के दिन परिवार, रिश्तेदारों एवं ग्रामवासियों द्वारा उपहार दिया जाता है व उन्हें भोजन कराया जाता है।

विवाह

विवाह आयु –

धुरवा जनजाति में लड़के का विवाह 18–22 वर्ष की आयु में तथा लड़की का विवाह 18–20 वर्ष की आयु में किया जाता है।

अधिमान्यता –

विवाह हेतु अधिमान्यता का तात्पर्य विवाह संबंध तय करने में कुछ विशिष्ट संबंधियों को प्राथमिकता देना है। धुरवा जनजाति में वैवाहिक संबंध हेतु ममेरे फुफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है।

विवाह के प्रकार–

धुरवा जनजाति में दो प्रकार का विवाह पाया जाता है– एकल विवाह व बहु पत्नी विवाह।

वधूमूल्य–

धुरवा जनजाति मे वधूमूल्य का प्रचलन है। वधूमूल्य से तात्पर्य वधू प्राप्ति के पूर्व वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को कुछ धन, सामान या मूल्य चुकाना पड़ता है। धुरवा जनजाति में इसे 'खरचा' के नाम से जानते है। इसमें मुख्य रुप से अनाज, पशु–पक्षी, पेय पदार्थ, रुपये एवं वधू के माता–पिता के लिए साड़ी एवं पगड़ी दिया जाता हैं 'खरचा' (वधूमूल्य) विवाह के पूर्व दिया जाता हैं। 'खरचा' देने का मुख्य कारण यह है, कि कन्या अपने माता–पिता के परिवार के लिए आर्थिक रुप से उपयोगी होती है। इस परिवार के कन्या के 'बिहा' (विवाह) के उपरान्त इस आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ता हैं अतः इस लाभ के हर्जाना स्वरुप वर पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है।

यदि वर पक्ष द्वारा 'वधूमूल्य' देने में असमर्थ हो तो वर कन्या के घर में रहकर तीन से पाँच वर्ष तक अपनी सेवा देता है।

जीवन साथी चयन की विधि

धुरवा जनजाति में जीवन साथी चयन की विधि निम्न है–

सहमति विवाह

सहमति विवाह के अंतर्गत ऐसे विवाह संबंध आते हैं जिसे वर–वधु के माता–पिता व अन्य संबंधी मिलकर तय करते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं–

मंगनी विवाह

धुरवा जनजाति में माता–पिता अपने विवाह योग्य पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करते हें। योग्य कन्या मिलने पर लड़के माता–पिता दो–तीन बोतल शराब लेकर कन्या के घर विवाह प्रस्ताव देने जाते हैं। इसके पश्चात् यदि विवाह प्रस्ताव से कन्या के माता–पिता सहमत हो तो कन्या से उसकी इच्छा पूछी जाती है। कन्या की सहमति मिलने पर साथ लाए शराब को सभी मिलकर पीते हैं। लड़की के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाने को 'माहला' कहते है। धुरवा जनजाति में पूर्व में 7–12 माहला किया जाता था, जिसे वर्तमान में तीन–चार माहला में पूर्ण कर लिया जाता है।

प्रथम माहला के कुछ दिनों के पश्चात् लड़की वाले लड़के के घर मंगनी करने जाते हैं। वे अपने साथ 5–6 बोतल शराब, लाई, लंदा आदि ले जाते हैं मंगनी के बाद विवाह तय माना जाता है।

इसके कुछ दिनों पश्चात वर पक्ष के सदस्य माहला करने वधू के घर जाते हैं। इस समय वर के माता–पिता संबंधी एवं ग्रामवासी जाते हे। वे अपने साथ शराब, लांदा, चावल, लाई आदि ले जाते है। वहाँ दोनों पक्ष मिलकर विवाह को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु दोनों पक्षों से एक–एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, जिन्हें 'माहला करिया' कहा जाता है। 'गपा उड़योड़' (माहला करिया) का मुख्य कार्य विवाह के दौरान दोनों पक्षों के मध्य संवाद बनाए रखना तथा बाधाओं को दूर करना है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष के सदस्य चर्चा करते हैं और साथ लाये सामान को खाते पीते हैं।

चौथे माहला में वर पक्ष के सदस्य माहला करिया व कुछ ग्रामवासी कन्या के घर जाते हैं इस अंतिम माहला में खरचा, विवाह तिथि आदि निश्चित की जाती है।

इसके कुछ दिनों पश्चात वर पक्ष के सदस्य माहला करने वधू के घर जाते हैं। इस समय वर के माता–पिता संबंधी एवं ग्रामवासी जाते हे। वे अपने साथ शराब, लांदा, चावल, लाई आदि ले जाते है। वहाँ दोनों पक्ष मिलकर विवाह को निर्विघ्न संपन्न कराने हेतु दोनों पक्षों से एक–एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, जिन्हें 'माहला करिया' कहा जाता है। 'गपा उड़योड़' (माहला करिया) का मुख्य कार्य विवाह के दौरान दोनों पक्षों के मध्य संवाद बनाए रखना तथा बाधाओं को दूर करना है। इसके पश्चात् दोनों पक्ष के सदस्य चर्चा करते हैं और साथ लाये सामान को खाते पीते हैं। चौथे माहला में वर पक्ष के सदस्य माहला करिया व कुछ ग्रामवासी कन्या के घर जाते हैं इस अंतिम माहला में खरचा, विवाह तिथि आदि निश्चित की जाती है।

विवाह–

धुरवा जनजाति में विवाह के प्रथम दिन दोनों पक्ष में हल्दी व सेमल वृक्ष की शाखा को गाड़कर 'कोड़की' (कुदाली) रखते हैं। इसके पश्चात शाम को स्थानीय देवी–देवता की पूजा की जाती है।

दूसरे दिन वर पक्ष वाले वधू के गाँव बारात लेकर जाते हैं। उन्हें स्वागत के उपरान्त नियम स्थान पर ठहराया जाता है। इसके पश्चात् वर पक्ष के कुछ सदस्य वधू के घर जाकर वधूमूल्य चुकाते हैं। शाम को वर व बाराती वधू के घर जाते हैं, वहाँ सेमल की शाखा के समीप वधू को खड़ाकर उसका पिता 'पानी' डालता है। इसके बाद रात को भोजन कर नृत्य करते हैं। अगले दिन वर–वधू वधू पक्ष को कुछ स्त्रियां व बाराती वापस अपने गाँव आते हैं। वहाँ सर्वप्रथम वर पर वर का पिता 'पानी' डालता है। इसके बाद दोनों को सेमल के गड़े शाखा के समीप खड़े कर पानी डालते हैं और हल्दी लगाते हैं। इसके पश्चात् वर–वधू को आमंत्रित सदस्य टीका लगाकर उपहार व आशीर्वाद देते हैं व भोजन करते हैं। रात को वधू पक्ष की स्त्रियों के लिए गीत गाए जाते हैं व नृत्य होता है। अगले दिन भोजन के पश्चात् वधू पक्ष की स्त्रियों को विदा किया जाता है।

सहमति विवाह के अन्य प्रकार–

धुरवा जनजाति में सहमति विवाह के अन्य प्रकार में 'पलटा–पलटी बिहा' (विनिमय विवाह), 'घरजियां चुरचा विहा' (सेवा विवाह) भी होता है।

पलायन विवाह–

धुरवा जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है। इसमें यदि युवक–युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं व विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते है तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। दोनों परिवार के सदस्य युवक–युवती की तलाश करते हैं व इस मामले को जनजाति पंचायत में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। ऐसे मामले में युवक के पिता को, कन्या के पिता को ‘‘खरचा‘‘ देना होता है तथा समाज को जुर्माना के रूप में आर्थिक दण्ड व भोज देना पड़ता है।

पुनर्विवाह–

धुरवा जनजाति में पुनर्विवाह का प्रचलन है। इस प्रकार के विवाह में विधुर, विधवा एवं परित्यकता का विवाह होता है। इसमें विवाहित या विधुर व्यक्ति किसी कन्या या विधवा से विवाह कर सकता है। देवर–भाभी विवाह भी पुनविर्वाह के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके तीन स्वरूप मंद विवाह, चुड़ी विवाह व खिलवा विवाह प्रचलित है।

मृत्यु संस्कार–

धुरवा जनजाति में मृत्यु को जीवन की अनिवार्य घटना माना जाता है। धुरवा परिवार में किसी की मृत्यु होने पर पड़ोस के व्यक्ति एकत्र होते हैं तथा वे शोक प्रकट करते हैं एवं ग्रामवासियों को तथा दूसरे ग्राम के संबंधियों को सूचना देते हैं। धुरवा जनजाति में अंतिम कर्म की दो विधियां प्रचलित है ।

स्वाभाविक मृत्यु पर धुरवा जनजाति में व्यक्ति को दफनाया जाता है। मृतक को 'टाट' (बाँस की अर्थी) में पैरा के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाकर रखा जाता है तथा शव को ऊपर से सफेद कपड़े से ढाक दिया जाता है। अर्थी को परिवार तथा ग्राम के चार–चार सदस्यों द्वारा 'मोड़ा भाटा' (श्मशान) तक ले जाया जाता है। शव यात्रा में ग्राम के स्त्री–पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं, श्मशान में मृतक के वैवाहिक पक्ष के सदस्यों द्वारा गड्ढा खोदा जाता है। इस पर मृतक को लेटाया जाता है। दफनाने के समय मृतक का सिर, पूर्व तथा पैर पश्चिम दिशा में रखा जाता है। शव पर सर्वप्रथम मृतक के परिवार के मुखिया द्वारा एक मुट्ठी मिट्टी डाला जाता है।

धुरवा जनजाति में अस्वाभाविक मृत्यु जैसे रोग, दुर्घटना, अन्य प्राणी का आक्रमण, शरीर में कीड़े लगना, जादू–टोना, पानी में डूबना आदि कारणों से मृत्यु होने पर शव को जलाया जाता है।

धुरवा जनजाति नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उसे श्मशान में दफनाया जाता है। गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर जंगल के दूरस्थ स्थान में दफनाया जाता है। उनका मानना है कि ग्राम के समीप दफनाने पर मृत महिला की आत्मा ग्राम के सदस्यों को हानि पहुँचा सकते हैं।

धुरवा जनजाति में तीन दिनों तक शोक मनाया जाता है। श्मशान से अंतिम कर्म कर सभी सदस्य तालाब या नदी में जाकर स्नान करते हैं तथा मृतक के घर जाते हैं। मृतक के द्वार पर करेले के पत्ता व चावल रखते हैं, जिसे सभी सदस्य थोड़ा–थोड़ा खाते हैं।

मृत्यु के प्रथम दो दिनों तक मृतक के घर में भोजन अन्य परिवारों द्वारा पहुँचाया जाता है। तीसरे दिन घर की साफ–सफाई कर शुद्ध किया जाता है। इस दिन से भोजन पकाया जाता है। इस दिन ग्रामवासियों एवं संबंधियों को बुलाया जाता है। मृत्यु के दसवें दिन 'दुख' मनाया जाता है। आर्थिक रुप से अक्षम परिवार द्वारा 'दुख' एक माह से एक वर्ष तक मनाया जाता है। इसमें मृतक के परिवार का मुखिया तथा अन्य व्यक्ति मोड़ा भाटा (शमशान घाट) जाते हैं तथा पूजा करते हैं।

सामाजिक संरचना—

सामाजिक संरचना समाज के सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाईयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमे जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक समूहों, इकाईयों, संस्था व व्यक्तियों द्वारा स्थितियों व भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। धुरवा जनजाति की सामाजिक संरचना का विवेचन निम्नानुसार है—

जनजाति—

जाति एक गतिशील व्यवस्था है। जाति, समाज का खण्डों में विभाजन है, जिसकी सदस्यता जन्माधारित है, यह भोजन, सामाजिक सहवास, व्यवसाय एवं विवाह आदि पर आधारित है। जाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है, जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नहीं है। जनजातियों में जातिगत विशिष्टता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता तथा सामाजिक दूरी पायी जाती है।

धुरवा जनजाति एक स्वतंत्र नृजातीय समुदाय है। यह अनेक गोत्रों में विभाजित है।

गोत्र–

धुरवा जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य देव मानता है, जिसके वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा में गोत्र के सदस्य मुख्य देव/देवी स्थल में होते हैं। धुरवा गोत्र को 'बस' के नाम से जानते हैं। धुरवा जनजाति में गोत्र कई वंशो का समूह माना जाता है। गोत्र की उत्पत्ति आदि पूर्वज से मानी जाती है, जो पशु पक्षी, पेड़–पौधा, मनुष्य, नदी–पहाड़, सजीव–निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। प्रत्येक गोत्र को टोटम पाया जाता हे। जो उस गोत्र का प्रतीक होता है। गोत्र बर्हिविवाही होता है। प्रमुख गोत्र बाघ (बाघ), कच्छिम (कछुआ) और नाग (सर्प) पाए गए हैं। इस ग्राम में नाग गोत्र की वहुलता पाई गई है। इस गोत्र के दो उपगोत्र दूध नाग एवं बड़े नाग है।

टोटम एवं टोटम संबंधी निषेध–

धुरवा जनजाति के प्रत्येक गोत्र का गोत्र चिन्ह अर्थात् टोटम पाया जाता है। एक गोत्र के सदस्य उस संबंधित टोटम का सम्मान करते हैं। उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त मारते व खाते भी नहीं है। यदि टोटम को किसी कारणवश मारना पड़े तो उसे सफेद कपड़े डालकर गडढे में दफना दिया जाता है।

परिवार–

धुरवा परिवार माता–पिता या पति–पत्नि एवं संतानों से मिलकर बना होता। परिवार में विवाह एवं रक्त संबंधी दोनों रहते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति एवं सदभाव पाया जाता है।

धुरवा जनजाति के केन्द्रीय परिवार में पति–पत्नि तथा उनके अविवाहित संतान निवास करते हैं ऐसे परिवार का स्वरुप छोटा होता है। धुरवा जनजाति में सर्वाधिक केन्द्रीय परिवार है।

धुरवा संयुक्त परिवार में माता–पिता तथा उनके विवाहित संतान एवं उनके संतान निवास करते हैं, अर्थात् इस प्रकार के परिवार में तीन पीढ़ी के सदस्य पाए जाते हैं। केन्द्रीय परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार कम पाया गया है। संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही क्षेत्र में अलग–अलग रहकर परिवार का विस्तृत परिवार का स्वरुप प्रदान करते हैं। इन परिवारों का रसोई एवं आर्थिक कार्य अलग होता है, किन्तु विभिन्न सामाजिक, धार्मिक अवसरों पर ये पारिवारिक सदस्य मिलकर मनाते हैं।

नातेदारी–

धुरवा जनजाति में नातेदारी का जन्म विवाह और परिवार दोनों से ही होता है। नातेदारी का अर्थ है–संबंध। अतः नातेदारी से अभिप्राय व्यक्ति के उन संबंधों से है, जो रक्त पर आधारित हे। इसके अलावा वे सभी संबंधी आते हैं, जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नातेदारी के माध्यम से मनुष्य संबंधित सदस्यों तथा अन्य सदस्यों में अंतर करते हैं।

सर्वेक्षित धुरवा परिवारों में नातेदारी के दो प्रकार पाए गए हैं।

धुरवा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदारी वह है जो समान रक्त के आधार पर एक–दूसरे के संबंधी होते हैं। जैसे– माता–पिता, पिता–पुत्र, भाई–बहन आदि। धुरवा जनजाति में विवाह संबंधी नातेदारी पाया गया है, जिसमें विवाह के माध्यम से स्त्री–पुरुष आपस में संबंधित होते हैं। इसके साथ ही दो परिवारों में संबंध निर्मित होता है। इस प्रकार विवाह बंधन से विवाह संबंधी नातेदारी निर्मित होते हैं। जैसे– सास–ससुर, देवर–देवरानी, सास–बहू, पति–पत्नि आदि।

नातेदारी व्यवहार

विभिन्न प्रकार के संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेष व्यवहारों का भी महत्व दिया जाता है। वास्तव में हम विभिन्न नातेदारो से जो संबंध स्थापित करते है उनमे कुछ का आधार श्रद्धा और सम्मान होता है। वही दूसरी ओर स्नेह एवं परिहास होता है। धुरवा जनजाति में दो प्रकार के नातेदारी व्यवहार पाए गये हैं परिहार संबंध व परिहास संबंध।

आर्थिक जीवन

अध्याय–5

धुरवा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत हैं। यह क्षेत्र मैदानी तथा वनयुक्त होने के कारण धुरवा जनजाति के सदस्य बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। धुरवा जनजाति के सदस्य बांस के बर्तन बनाना, कृषि मजदूरी, संकलन, मछली मारना, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न है। धुरवा जनजाति अपने आवश्यकताओं की

पूर्ति हेतु उपरोक्त साधनों पर निर्भर हैं। इनमें प्रचलित अर्थव्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है–

सम्पत्ति–

धुरवा जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। धुरवा जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

सामूहिक सम्पत्ति–

ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक–राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी–नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

व्यक्तिगत सम्पत्ति–

स्वयं के उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया या स्वतः प्राप्त वस्तु सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें कृषि उपकरण, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल आदि शामिल है।

प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय–

धुरवा जनजाति पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। धुरवा जनजाति ज्येष्ठाधिकार की प्रथा है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार का भावी मुखिया होने एवं पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी होने के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन में यदि माता–पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् यह सभी भाईयों में समान हिस्से में बांटा जाता है।

आर्थिक संरचना–

धुरवा जनजाति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। ये जीविकोपार्जन व सम्पत्ति प्राप्ति से संबंधित क्रियाएँ करते हैं। संकलन, शिकार, पशुपालन, मछली मारना, कृषि कस्तकारी, मजदूरी आदि आर्थिक क्रियायें पूरे वर्ष करते हैं। इस प्रकार धुरवा जनजाति की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा धुरवा जनजाति को बाँस कार्य में संलग्न रहने के कारण 'बास्केट्रीट्राइब' की संज्ञा भी दी जाती है।

धुरवा जनजाति की आर्थिक संरचना मनुष्य एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है, अर्थात् वनों में बसे धुरवा ग्रामों की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है, वर्तमान में बाह्य सम्पर्क में वृद्धि के कारण नवीन आर्थिक स्त्रोतों का सृजन भी हुआ है। धुरवा आर्थिक संगठन में लिंग–आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है।

धुरवा परिवारों की आर्थिक क्रियाओं का विवरण निम्नानुसार है –

बाँस के सामान बनाना–

धुरवा जनजाति बाँस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग बाँस का उपयोग गृह निर्माण से लेकर दैनिक उपयोगी वस्तुएँ तथा अन्य प्रकार से उपयोग करते हैं बाँस की वस्तुएँ हल्के, मजबूत एवं सस्ते साथ ही साथ टिकाऊ होने के कारण जनजातिं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। यह कार्य स्त्री–पुरुष एवं बच्चे करते हैं।

बाँस की कटाइ –

धुरवा जनजाति बाँस वनों से काटकर लाते हैं। ये लोग उचित आकार एवं परिपक्व बाँस को काटते हैं। बाँस लाने का कार्य एकल या सामूहिक दैनिक अथवा साप्ताहिक में किया जाता है। वन में बाँस काटने के पश्चात् बाँस की शाखाओं को काटा जाता है तथा उसे छोटे–छोटे टुकड़ों में काट कर एक लंबे बाँस के आगे–पीछे बांधकर लाते हैं।

बाँस को तैयार करना–

वन से लाए गये बाँस की वस्तुएँ बनाने के पूर्व उचित आकार में पट्टियाँ एवं सीलक (छिले हुए पतले बांस की पट्टी) तैयार कर ली जाती है, तथा इसे सुखा लेते हैं एवं बुनाई से पूर्व इसे भीगों लिया जाता है। इस कार्य में स्त्री–पुरुष एवं बच्चे सहयोगी होते हैं

बुनाई– बाँस के वस्तुओं को अलग–अलग प्रकार व आकार के बनाए जाते हैं। वस्तुओं के आकार के अनुसार ही बाँस को तैयार किया जाता है, एवं उसकी डिजाईन तय की जाती है।

विक्रय –

धुरवा जनजाति बाँस की वस्तुओं का विक्रय स्थानीय 'हाट' (बाजार) में किया जाता है, ये बाजार साप्ताहिक होते है। बाजारों में विक्रय का कार्य स्त्री–पुरुष दोनों करते हैं।

कंदमूल एवं वनोपज संकलन–

धुरवा जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है।

संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री–पुरूष द्वारा किया जाता है। संकलन कार्य सुबह 3–5 घण्टे किया जाता है। धुरवा जनजाति के सदस्य नुआखानी त्यौहार के बाद ही जंगल से कंदमूल संकलन करते हैं। संकलन कार्य ''टंगिया'' (कुल्हाड़ी) ''गोपा'' (टोकनी) ''साबली'' (सब्बल) की सहायता से किया जाता है। धुरवा सदस्य वन से कंदमूल, फल–फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन करते हैं। उपभोग हेतु किये जाने वाले संकलन का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी क्र. 5.1

उपभोग हेतु संकलन का विवरण

क्र.	वनस्पति का भाग	वनस्पति का नाम
1	कंद–मूल	सरोंदा कांदा, तरगिया कांदा, टोंडरी कांदा, कडु कांदा, पीता कांदा, चेर कांदा, सीका कांदा, करील (बास्ता) आदि।
2	भाजी	कोलियारी, पतरानी, फूललाटा, भेलवां भाजी, फूलभाजी, घिरी भाजी, चरोटा भाजी आदि।
3	फूल	गिरूल फूल, इमली फूल, महुआ।
4	फल	आम, इमली, टोरा, तेन्दू भेलवां, चार, जामुन, आंवला, हर्रा, बेहड़ा कुसुम आदि।
5	मशरूम	बोड़ा, जात बोड़ा, लाखड़ीबोड़ा, सरगीछाती, कदरछाती आदि।

सारणी क्र. 5.2
उपयोग या विक्रय हेतु संकलन का विवरण

क्र	वनस्पति का भाग	उपयोग	पौधे/वृक्ष का नाम
1	छोटी शाखा	दातौन	साल, जामुन, करंज।
2	पत्ता	विक्रय पत्तल–दोना	साल, मोहलई, महुआ, तेन्दूपत्ता
3	फूल	मादक पेय/खाद्य	महुआ
4	फल व बीज	तेल, विक्रय एवं औषधीय	तेन्दू, आम, जामुन, इमली, आंवला, चार, टोरा, करंजी, कुसुम।
5	छाल व जड़	रस्सी	सियाड़ी, बगई, सीसल
6	स्त्रावित द्रव्य	गोंद एवं धूप	धवड़ा, साजा, बेहड़ा, कुल्लू चार।
7	पौधा	झाडू	फूल बाड़नी, झिटका दाब, खरला कांटा, सोम बाड़नी, टिया बाड़नी।
8	तना	वस्तु जलाऊ व गृह निर्माण	साल, साजा, धवड़ा, फरसा, बांस आदि।

धुरवा जनजाति के सदस्य लगभग पूरे वर्ष संकलन का कार्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं, उपभोग हेतु संकलन मुख्यतः जुलाई–अगस्त से जनवरी–फरवरी तक तथा उपयोग या विक्रय हेतु संकलन वर्ष की शेष अवधि में किया जाता है।

पारदी (शिकार) –

धुरवा जनजाति के आर्थिक संरचना में शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है। शिकार मांस प्राप्ति के साथ–साथ बहादुरी एवं सामूहिकता का परिचायक है। शिकार संकलन के साथ, ''पारदी'' या वार्षिक सामूहिक शिकार तथा खाली समय में किया जाता है।

वर्तमान में शिकार पर शासकीय प्रतिबंध होने के कारण अल्प प्रचलित है। शिकार हेतु तीर–धनुष, गुलेल, ''टंगिया'' (कुल्हाड़ी), ''फरसी'' (फरसा) एवं अनके प्रकार के जाल आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। धुरवा जनजाति में शिकार में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

अ. एकल शिकार–

धुरवा जनजाति के सदस्य संकलन के साथ एकल शिकार करते हैं। वे ''खरहा'' (खरगोश) पंडकी, लावा (बटेर) आदि पशु–पक्षियों का शिकार करते हैं। यह शिकार फसल कटने अर्थात् शीत ऋतु के प्रांरभ से गर्मियों तक किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर धुरवा सदस्य पशु–पक्षियों की अधिकता या पदचिन्हों के आधार पर उनके जाने का मार्ग ज्ञात कर लेते हैं एवं उनका शिकार करते हैं। एकल शिकार हेतु ''गुलेर'' (गुलेल) धनुकाण्ड (तीर–धनुष), ''टंगिया'' (कुल्हाड़ी) तथा अनेक प्रकार के ''जाली'' (जालों) का प्रयोग करते हैं।

ब. सामूहिक शिकार–

धुरवा जनजाति के सदस्य गर्मियों में ''पारदी'' या वार्षिक सामूहिक शिकार करते हैं। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरूष सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जानवर को भगा–भगाकर शिकार करते हैं। इसमें एक दिशा के सदस्य पशुओं को भगाकर लाते हैं तथा दूसरे समूह के सदस्य शिकार करते हैं। वर्तमान में सामूहिक शिकार पर प्रतिबंध होने से सिर्फ परम्परा का निर्वहन हेतु बीजपूरनी त्यौहार के दिन प्रतिकात्मक तौर से जारी है।

मत्स्य आखेट–

धुरवा जनजाति के स्त्री–पुरूष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी–नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। मछली मारने का कार्य दोपहर या शाम को किया जाता है। मछली मारने के लिए गरी–लाट, पेलना, खूटन, जाल आदि का प्रयोग करते हैं। महिलायें ''छिछाई'' विधि से गड्ढ़े या डबरा से पानी फेंककर मछली पकड़ती है। सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है। धुरवा सदस्य टेंगना, मोंगरी, खोकसी, बाम्बी आदि मछलियों के साथ–साथ केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव का शिकार करते हैं।

कृषि–

कृषि आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कृषि परिवार या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। धुरवा की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। धुरवा सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतो में तथा मरहान में अनाज, दाले, तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। धुरवा जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। धुरवा सदस्य पूर्व में ''डाही'' या स्नानांतरित कृषि करते थे। वर्तमान में पूर्णतः स्थायी कृषि करते हैं। धुरवा जनजाति की कृषि पद्धति का विवरण निम्नांकित है –

भूमि–

धुरवा परिवार में भूमि का स्वामित्व–स्वर्जित या पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से प्राप्त है। धुरवा निवास क्षेत्र मे रेतीली लाल मिट्टी की अधिकता है।

कृषि का स्वरूप –

धुरवा जनजाति कृषि दो रुप से करते है –

(अ) खेत –

यह कृषि की अवधि मई–जून से प्रारंभ कर नवम्बर –दिसम्बर तक करते हैं यह हल–बैल से की जाने वाली परम्परागत कृषि है। यह कार्य स्त्री–पुरुष दोनों करते हैं। धुरवा खेतों में खाद का उपयोग नहीं करते हैं।

फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए सल्फी वृक्ष के पत्ते को खेतों में जगह–जगह पर लगा दिया जाता है।

(ब) बाड़ी –

धुरवा जनजातीय ग्राम वन एवं पर्वतीय क्षेत्र मे बसा होने के कारण धुरवा जनजाति का आवास दूर–दूर स्थित है। इन आवास के आगे या पीछे की भूमि को बाड़ी बना दिया जाता हैं। इस बाड़ी में मौसम के अनुसार सरसों, तिल, मक्का, जौ, कुल्थी, कोदो, कोसरा, मंडिया, उड़द आदि की कृषि करते हैं। इसके अतिरिक्त साग–सब्जियों में लगाते हैं। यह कार्य स्त्री–पुरुष करते है।

फसल–

धुरवा जनजाति अनाज, दालें व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी दैनिक वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। धुरवा परिवार अपनी आवश्यकता मौसम एवं भूमि के अनुसार एक निश्चित फसल चक्र का पालन करते हैं।

धुरवा जनजाति का मुख्य उपज धान है, धान की पैदावार मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फसल कटने के पश्चात् गीले खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पश्चात बैसाख माह से खेत की मरम्मत, मेड़ बनाने एवं जुताई का कार्य प्रांरभ करते हैं। इसके पश्चात् उत्पादन वृद्धि के लिए गोबर खाद डालने डालते हैं, पूर्व में खाद के लिए वन से सूखी पत्तियां या वृक्ष की शाखायें लाकर खेत में जला देते थे एवं राख को पूरे खेत में बिखेर देते थे। धुरवा कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है। अर्थात् परम्परागत हल–बैल, खाद विधि से ही कृषि किया जाता है। धुरवा सदस्यों द्वारा कृषि भूमि के आधार पर प्रयुक्त धन की देशी किस्मों का विवरण सारणी क्रमांक 5.3 दर्शाया गया है :–

सारणी क्र. 5.3

कृषि भूमि अनुसार प्रयुक्त धान की किस्म का वितरण

क्र	कृषि भूमि	धान की देशी किस्में
1	गभार / धार	गुरमुटिया, गाड़ा खूंटा, बासनी मुड़ी, बयकाना बांउस–बस, सफरी आदि।
2	खारी	सफरी आई.आर. 64 बमलेश्वरी, हजारी आदि।
3	टिकरा	सुकली, मुंडी, पारा धान, माटी धान आदि।
4	मरहान	मेहर माटी धान, घोटिया आदि।

धुरवा जनजाति के सदस्य धान के साथ–साथ मक्का, मंडिया, कोसरा, सरसों, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं। जिसके उत्पादन में धुरवा जनजाति के कृषक मई–जून से दिसम्बर–जनवरी तक लगभग आठ माह संलग्न रहते हैं।

पशुपालन–

धुरवा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया पशुपालन है। पशुपालन का मुख्य उद्‌देश्य कृषि कार्य, मांस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। धुरवा परिवारों में गाय, बैल, बकरा–बकरी, भैंस, भैंसा मुर्गी–मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है।

मजदूरी–

धुरवा जनजाति के सदस्य वन आधारित आर्थिक स्त्रोतों की कमी होने के कारण कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। शासकीय मजदूरी कार्य में शासकीय दर से मजदूरी प्राप्त होती है। धुरवा जनजाति ग्रामों में कृषि मजदूरी के निम्न स्वरूप दिखाई देते हैं।

अ. दैनिक मजदूरी–

धुरवा सदस्य खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। दैनिक मजदूरी में स्त्री–पुरूष दोनों कार्य करते हैं। लेकिन मजदूरी दर में लिंगाधारित भिन्नता पाया जाता है। दैनिक कृषि मजदूरी कार्य वर्ष में 30–60 दिन उपलब्ध होता है।

ब. शासकीय मजदूरी–

धुरवा सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, निर्माण कार्य तथा वन विभाग में मजदूरी कार्य करते हैं। जिसमें शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इन्हे वर्ष में लगभग 30–100 दिनों तक शासकीय मजदूरी कार्य उपलब्ध होता है।

स. ''कमिया'' (वार्षिक मजदूरी) –

धुरवा जनजाति में वार्षिक मजदूरी को ''कमिया'' कहते हैं। ''कमिया'' अर्थात् वार्षिक मजदूर 10 माह अर्थात जेठ–आषाढ़ से माघ–फागुन तक रखते हैं। इसमें वार्षिक मजदूरी दर 50–70 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं है। नियम व शर्त तय होने के उपरांत ''कमिया'' भूमि स्वामी के घर कार्य करने लगता है उसे कृषि व घर का कार्य करना पड़ता है। ''कुड़ही खाया कमिया'' दिन में रहता है। इसमें वार्षिक मजूदरी दर 30–40 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं। ''कमिया' आवश्यकतानुसार अग्रिम ले सकता है। जिसे अंतिम भुगतान में से घटा दिया जाता है। यदि ''कमिया'' तय अवधि के मध्य में काम छोड़ देता है तो किये गये कार्य अवधि का पारिश्रमिक देते हैं।

नौकरी–

धुरवा जनजाति के कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भृत्य आदि पदों पर नौकरी करने लगे हैं। नौकरी के कारण धुरवा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

अन्य आर्थिक साधन–

उपरोक्त आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त वर्तमान में धुरवा जनजाति में अन्य आर्थिक कार्य जैसे–शासकीय व स्थानीय मजदूरी, किराना दुकान, नौकरी, सायकल दुकान, ठेकेदारी व्यवसाय, स्व सहायता समूह आदि के नए क्षेत्र हैं। धुरवा जनजाति के अनेक परिवार के वृद्ध सदस्यों को पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। इन नवीन आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरुप धुरवा जनजातीय परिवार के आय में वृद्धि हुई है व अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। ये नवीन आर्थिक क्रियायें शिक्षा, बाहरी सम्पर्क, विकासीय योजनाओं के प्रभाव स्वरुप उभर रही है।

बाजार–

धुरवा साप्ताहिक बाजार में क्रय–विक्रय के लिए जाते हैं। यह धुरवा जनजाति के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे 'हाट' (बाजार) के नाम से जानते हैं। इस बाजार में आस–पास के क्षेत्र में रहने वाले जनजातियाँ एवं अन्य लोग भी आते हैं। यह व्यापार और विनिमय का केन्द्र है। बाजार में विनिमय वस्तु को वस्तु से करते हैं। बाजार में मौसमी साग–सब्जियाँ, फल, चापड़ा (लाल चींटी), सुख एवं ताजा मछली, माँस, ईमली, टोरा, महुआ, चावल, बाँस के बर्तन, पेय पदार्थ में शराब, लंदा एवं सल्फी विक्रय करते हैं। इसके अलावा कपड़ा, आभूषण, बर्तन, लोहे के सामग्री एवं अन्य दुकानें भी पाई जाती है। ये समूह में पैदल अथवा साइकिल में बाजार जाते हैं।

राजनीतिक संगठन

अध्याय–6

धुरवा जनजाति का राजनैतिक संगठन ऐतिहासिक रुप से बस्तर राज–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अलग–अलग स्तर के राजनीतिक संगठन में एक प्रमुख होता है। उसे सहयोग के लिए पदाधिकारियों का समूह होता है। धुरवा जनजाति में परम्परागत राजनीतिक संगठन या पराम्परागत पंचायत के निम्न स्वरुप कार्यशील है –

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत –

धुरवा जनजाति में ग्राम स्तरीय जाति पंचायत होता है। यहाँ ग्राम स्तरीय पंचायत ग्राम में निवास करने वाली परिवारों के सामान्य या छोटे अपराधियों का निपटारा किया जाता है। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत का प्रमुख 'पाईक' होता है तथा 'पाईक' का सहयोग पारा मुखिया करते हैं।

धुरवा जनजाति के ग्राम स्तरीय पंचायत में छोटे या सामान्य अपराधों का निपटारा किया जाता है। अपराध होने पर पीड़ित पक्ष द्वारा सर्वप्रथम पारा मुखिया को सूचना दिया जाता है।

वह पाईक को सूचित करता है। पाईक तथा पारा मुखिया मिलकर अपराध के स्वरुप का निर्धारण करते हैं। यदि अपराध स्वरुप सामान्य प्रकृति का हो तो ग्राम में ही सुलझा लिया जाता है, अन्यथा परगना स्तर पर भेज दिया जाता है। अपराध की प्रकृति का निर्धारण होने के पश्चात् सुनवाई का दिन तय करते हैं। सुनवाई निर्धारित तिथि को ग्राम वासियों के समक्ष पारा मुखिया एवं पाईक द्वारा न्याय का कार्य किया जाता है। छोटे या सामान्य अपराध पर समझाईश, चेतावनी, जुर्माना आदि का प्रावधान है।

परगना जाति पंचायत–

धुरवा जनजाति के गाँव प्राचीन राज–व्यवस्था के अनुरुप अनेक परगना के अंतर्गत सामान्यतः अर्थात् एक परगना से तात्पर्य ग्रामों के समूह से परगना स्तरीय धुरवा पंचायत की व्यवस्था है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के तहत् आधुनिक पंचायत में भी धुरवा जनजाति की सक्रिय सहभागिता है।

धार्मिक जीवन

धुरवा जनजाति देवी–देवताओं में गहन आस्था रखते हैं। इसके अलावा आत्मावाद, प्रकृतिवाद एवं बहुदेववाद में विश्वास रखते हैं। ये पूर्वज, अलौकिक शक्ति, वृक्ष, वन, नदी–नाले, पहाड़, सूर्य, चन्द्रमा की पूजा करते हैं धर्म का जीवन में गहन प्रभाव पाया जाता है। इनकी धार्मिक क्रियाएँ मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है।

धुरवा का पूर्व काल से बस्तर राजा से संबंध होने के कारण बस्तर राज्य की दंतेश्वरी देवी, मावली देवी को प्रमुख देवी मानते हैं। ग्राम देवी–देवता अलग–अलग ग्रामों में अलग–अलग हैं।

धुरवा सदस्य अपने पूर्वजों को दैवीय रुप में पूजते हैं जिसे 'पितर देव' के नाम से जानते हैं। प्रत्येक धुरवा परिवार के भंडार गृह में बाँस का एक पात्र होता है। इस बॉस के पात्र में उनके पूर्वजों की आत्मा रहती है जो उनकी रक्षा तथा मार्ग दर्शन करती है। विभिन्न त्यौहार में इन पूर्वज देवता की पूजा की जाती है।

त्यौहार–

धुरवा जनजाति वर्ष के अलग–अलग माह में त्यौहार मनाए जाते हैं। इनका त्यौहार मुख्यतः फसल एवं पशुओं से संबंधित होता है। त्यौहार परिवार, ग्राम एवं परगना में मनाया जाता है।

1. अमूस त्यौहार–

धुरवा जनजाति अमूस तिहार भादों माह को मनाया जाता है। इस दिन इष्ट देवी–देवताओं की पूजा किया जाता है। अमूस तिहार के दिन घर के पूजा स्थल में इष्ट देवी–देवताओं की पूजा किया जाता हे। तथा मुर्गा या मुर्गी की बलि दी जाती है। जिसे पुरुष सदस्य पकाकर खाते हैं पूजा के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है एवं भोजन कर खुशियाँ मनाई जाती है।

2. धान नुवा त्यौहार–

यह धान के फसल के साथ ही 'अक्टूबर–नवम्बर माह में मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सदस्य अपने अपने खेतों से धान की बाली लाकर घर में गृहदेव तथा कुलदेव की पूजा करते हैं एवं बलि देते हैं घरों में अपने देवी–देवता की पूजा संपन्न कर परिवार के सदस्य देवगुड़ी में एकत्र होकर पूजा करते हैं और अपने–अपने घरों को लौट जाते हैं। परिवार में धान नवा के प्रसाद को घर वाले ही खाते हैं। पूजा के पश्चात् भोजन कर खुशियाँ मनाया जाता है।

3. दियारी त्यौहार–

दियारी त्यौहार पूस मास को मनाया जाता है। इसमें गाय–बैल की पूजा की जाती है तथा चरवाह पशुओं को नई रस्सी बाँधता हैं। दियारी के दिन ग्रामवासी भोजन, पेज, शराब, लांदा खा–पीकर नृत्य करते है और खुशी मनाते है।

4. आमानुवा त्यौहार–

यह त्यौहार मई महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिवार के मुखिया उपवास रहकर पूजा सामग्री (फूल, नारियल, धूप, अगरबत्ती, कच्चे आम, शराब) को देवी–देवता को चढ़ाकर देवी देवता की पूजा की जाती है। इसके दो दिन बाद ग्राम के पुरुषों द्वारा चंदा एकत्रित कर मंदिर में मुर्गा/मुर्गी की बलि दी जाती है महिलाएँ प्रसाद (नारियल) खाती/ग्रहण करती हैं। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य आम की फसल का अच्छा होना है।

लोक कला एवं मनोरंजन

अध्याय–8

धुरवा जनजाति में लोक कला और मनोरंजन उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए अभिन्न अंग है। धुरवा जनजाति में नृत्य, गीत, संगीत, बाँस कला की परम्परा पायी जाती है। इन कलाओं के साथ मनोरंजन भी जुड़ा होता है।, धुरवा जनजाति में लोककला एवं मनोरंजन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

मंडई नृत्य–

धुरवा जनजाति विवाह, त्यौहार, पर्व एवं अन्य अवसरों पर नृत्य करते हैं। नृत्य के समय विशिष्ट आभूषण एवं वेशभूषा पहनते हैं। नृत्य के समय ढोल, बाँसुरी तथा अन्य वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सीटी भी बजाते हैं। वादक नर्तक दल के पीछे–पीछे चलते रहते हैं। धुरवा स्त्री–पुरुष समूह में नृत्य करते हैं। नृत्य में पुरुष गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं तथा कुछ पुरुष इनके कन्धे में चढ़ते हैं और नृत्य करते हैं। उस समय महिलाएँ घेरे में पुरुषों के बीच से निकलती है व गीत गाती है।

गुरगाल–

धुरवा समाज में प्रतिवर्ष एक नृत्य प्रधान उत्सव मनाया जाता है, जिसे गुरगाल कहते हैं। गुरगाल उत्सव रात–रात भर लगातार एक मास तक चलता रहता है। होली की रात में गुरगाल का समापन हो जाता है।

लोकगीत–

धुरवा जनजाति में लोकगीत प्रचलित है। ये जन्म संस्कार में विवाह, तीज त्यौहारों तथा मनोरंजन, अंतिम संस्कार के अवसरों पर गीत गाते हैं। धुरवा खेतों और खलिहानों में वनों में तथा यात्रा करते समय गीत गाते हैं। इसके अतिरिक्त कभी–कभी इच्छानुसार गीत गाते हैं ये धुरवी तथा हल्बी लोकगीत गाते हैं।

मुर्गा लड़ाई–

धुरवा जनजाति में मुर्गा लड़ाई मनोरंजन का साधन है। मुर्गा लड़ाई में शामिल होने आए ग्रामवासी अपने–अपने साथ लड़वाने के लिए मुर्गे लेकर आते हैं। इन मुर्गों की कीमत 300 से लेकर 1000 रुपए तक होती है।

यहाँ अपने–अपने मुर्गे के लिए जोड़ी की तलाष करते हैं। जोड़ तलाषने का आधार मुर्गे की उम्र तथा ऊँचाई होती है। लड़ाने के लिए जोड़ी मिलने के पश्चात् दोनों पक्षों के मुर्गा मालिक आपस में बातचीत कर मुर्गों को लड़ाने के लिए सहमत होते हैं। इसके पश्चात् दोनों पक्ष सामर्थ्यनुसार रुपये दांव पर लगाते हैं। मुर्गा मालिकों के अलावा दर्शक दीर्घा में उपस्थित ग्रामवासी भी सामर्थ्य अनुसार बाजी लगाते हैं।

मुर्गों को लड़ने के लिए मैदान में छोड़ने से पहले मुर्गे के एक पैर में तेल नुकीली चाकु नुमा हथियार 'काती' बांधा जाता है। ग्रामीण गोलाकार घेरा बनाकर मुर्गा लड़ाई देखते हैं। यदि मुर्गा अपने प्रतिद्वंद्वी मुर्गे को अपने पैर में बंधे काती से घायल कर देता है तथा उसे निशक्त कर देता है तो वह मुर्गा जीत हासिल करता है। जीतने वाले मुर्गा मालिक को रुपये के साथ–साथ हारा हुआ मुर्गा भी दे दिया जाता है।

विकास एवं परिवर्तन

अध्याय–9

धुरवा जनजाति का निवास क्षेत्र बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के समीप होने के कारण उनमें शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिससे धुरवा जनजाति के जीवन–शैली, रहन–सहन में परिर्वतन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। धुरवा जनजाति में शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार समय के साथ हो रहा है। जिससे धुरवा

जनजाति के जीवन–शैली, रहन–सहन में परिर्वतन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। धुरवा जनजाति में शैक्षणिक व अधोसंरचनात्मक विकास के कारण जागरूकता व बाह्य संपर्क में वृद्धि हुई है धुरवा जनजाति का सामाजिक संगठन समाज के शैक्षणिक–समाजिक विकास, कुरीतियों को दूर करने के लिये निरंतर सक्रिय एवं प्रयासरत है। जिससे धुरवा जनजाति प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही है। धुरवा जनजाति के जीवन में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है–

परिवर्तन –

1 भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

ग्राम –

धुरवा ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम में सीमेंट, सड़कें, नालियाँ, स्कूल भवन, हैण्डपंप, पाईप लाईन द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकान, पक्के सामुदायिक भवन आदि का सुव्यवस्थित विकास होने से धुरवा ग्राम की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

आवास–

धुरवा ग्रामों में पंरपरागत आवास के स्थान पर नवीन शैली के अर्ध पक्के तथा पक्के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास निर्माण हेतु पक्की ईंट, सीमेंट, सीमेंट या स्टील की शीट, रेत, बड़ी खिडकियों का उपयोग करने लगे हैं। कुछ धुरवा घरों में शौचालयों, पक्के फर्श तथा प्रकाश हेतु विद्युत व्यवथा भी करने लगे हैं। घरों की पुताई हेतु चूने के साथ रंग, डिस्टेम्पर, पेंट का प्रयोग भी करने लगे हैं।

दैनिक उपयोगी वस्तुएं –

धुरवा परिवारों में आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। धुरवा सदस्य शीतकाल में–ऊनी कपड़े, जैकेट, शॉल। ग्रीष्मकाल में– टोपी, गमछा, धूप चश्मा तथा वर्षाकाल में छाता, रैनकोट, जूते चप्पल आदि का उपयोग करने लगे हैं। घर में प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक कुर्सियां, दीवाल घड़ी, रेडियो, टी.व्ही., डिश, मोबाईल, पंखा आदि का उपयोग धुरवा जनजाति की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

रसोई की वस्तुएं–

धुरवा जनजाति के रसोई में भोजन बनाने हेतू मिट्टी के बर्तनों तथा भोजन करने के लिए दोना–पत्तल का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में धुरवा जनजाति के पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ–साथ एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, कांसा के बर्तनों का उपयोग भी करने लगे हैं।

वस्त्र विन्यास एंव साज–श्रृंगार–

धुरवा जनजाति के सदस्य शारीरिक स्वच्छता में दांतों की सफाई हेतु दातौन के स्थान पर टूथ–ब्रश व मंजन/पेस्ट, स्नान हेतु साबुन, कपड़े धोने हेतु साबुन या वाशिंग पावडर, तथा बाल नाई से कटाने लगे हैं। वे स्नान के पश्चात् श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पॉवडर बिंदिया, फीता, क्लीप का उपयोग करते हैं। धुरवा जनजाति के स्त्री–पुरूष वस्त्रों में जींस, टी–शर्ट, पैजामा कुर्ता, बरमुडा, सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि का उपयोग करने लगे हैं।

आर्थिक कार्यों से संबधित वस्तुएं–

धुरवा जनजाति के सदस्य कृषि हेतु हल–बैल के साथ–साथ टैक्टर, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, आधुनिक कीटनाशक तथा कीटनाशक यंत्र का उपयोग करने लगे हैं। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या में कमी आयी हैं।

आवागमन के साधन–

धुरवा जनजाति के सदस्य सायकल, मोटर सायकल, ट्रैक्टर, बस, जीप, कार आदि का उपयोग आवागमन तथा परिवहन के साधन के रूप में करने लगे हैं।

2 जीवन संस्कार में परिवर्तन–

प्रसव कार्य–

धुरवा जनजाति में प्रसव कार्य पारंपरिक दाई के द्वारा घरों में किया जाता था। किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई, मितानिन या नर्स की देखभाल में प्रसव कराया जाता है। संस्थागत प्रसव पर मिलने वाले आर्थिक लाभ के कारण अस्पताल में होने वाले प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है।

नामकरण–

नवजात बच्चों के नामकरण में आधुनिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है।

पोषण व टीकाकरण–

वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण धुरवा जनजाति के माता व शिशु के पोषण, टीकाकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है।

विवाह आयु–

पूर्व में धुरवा समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा थी, वर्तमान में विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

वैवाहिक कार्यक्रम–

पूर्व में धुरवा समाज में वैवाहिक कार्यक्रम पांच से सात दिनों का होता था किन्तु खर्च की अधिकता एवं समयाभाव के कारण वर्तमान में विवाह कार्य तीन दिनों में सम्पन्न होने लगे हैं। इसी प्रकार सहमति विवाह में विवाह पूर्व दस से बारह "माहला" (सगाई) का रिवाज था जिसे तीन दिन में "माहला" (सगाई) में परिवर्तित कर दिया गया है।

उपहार का स्वरूप –

धुरवा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में दिये जाने वाले ''टिकान'' (उपहार) के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में धुरवा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे हैं।

गीत–संगीत–

धुरवा जनजातीय समाज के सदस्य जन्म एवं विवाह संस्कार में पारम्परिक गीत–संगीत के साथ आधुनिक गीत–संगीत, वाद्‌य यंत्रों, लाउड स्पीकर का उपयोग करने लगे हैं।

सामाजिक जीवन में परिवर्तन–

संयुक्त परिवार का विघटन –

धुरवा जनजाति में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है किन्तु वर्तमान में आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

पारिवारिक निर्णय–

पूर्व में धुरवा परिवारों में मुखिया परिवारिक मामलों में निर्णय लेने को स्वतंत्र था किन्तु वर्तमान में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगे हैं।

नियमों में परिवर्तन–

अन्तर्रजातीय सम्पर्क बढ़ने से धुरवा जनजाति में यात्रा, निवास, खान–पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया है।

आर्थिक जीवन में परिवर्तन–

अर्थव्यवस्था में परिवर्तन–

धुरवा जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार, मछली मारने का कार्य सीमित होने लगा है तथा गैर शासकीय एवं शासकीय मजदूरी, व्यवसाय तथा शासकीय सेवा के रूप में नये आर्थिक कार्यों का सृजन हुआ है।

कृषि में नवीन तकनीकों का समावेश–

कृषि क्षेत्र में परम्परागत कृषि के साथ–साथ नवीन तकनीकों जैसे– उर्वरक, कीटनाशक, उड़ावनी पंखा, सिंचाई, ट्रेक्टर आदि तकनीकों का समावेश हुआ है जिससे फसल उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है।

फसल उत्पादन–

धुरवा जनजाति के अनेक परिवारों में द्वितीय फसल या सब्जियों का उत्पादन व विक्रय भी करने लगे हैं। जिससे धुरवा परिवार की आय में वृद्धि हुई है।

संस्थागत ऋण–

धुरवा जनजाति में कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय आदि पारिवारिक आवश्यकता हेतु संस्थागत ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है।

5. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

धुरवा जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत का प्रभाव सीमित हो गया है। वर्तमान में परम्परागत पंचायत विवाह संबंधी तथा कुछ विशेष मामलों का ही निपटारा करती है। परम्परागत जनजाति पंचायत में स्त्रियों की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नहीं था किन्तु वर्तमान में समाज द्वारा गठित राजनैतिक संगठन में स्त्रियों को स्थान दिया गया है तथा आधुनिक पंचायत में स्त्रियाँ विभिन्न पदों पर आसीन हैं ताथा सभा में भाग लेती हैं।

6. धार्मिक जीवन में परिवर्तन

धुरवा जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक भक्ति के विश्वास पर आधारित हैं। वे अपने प्राचीन रीति–रिवाजों के अनुसार पूजा अनुष्ठान का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में हिन्दु जनजातियों के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दु देवी–देवताओं की पूजा तथा व्रत त्यौहार मनाने लगे है जिससे धुरवा धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

7. नृत्य संगीत में परिवर्तन

धुरवा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु लोक गीत–संगीत का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। इसके स्थान पर फिल्मी गीत–संगीत, सांउड सिस्टम, टेलीवीजन, सीडी प्लेयर का प्रचलन बढ़ रही है। युवा वर्ग की रूचि लोक गीत–संगीत पर कम हो रही है।

8. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

धुरवा जनजाति में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिका शिक्षा की दर कम थी जिससे सुधार हो रहा है। पूर्व धुरवा बालक प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते थे वर्तमान में ग्राम में या समीपस्थ ग्राम में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की सहभागिता बढ़ना परिवर्तन कारक संकेत है।

Chhattisgarh
TRTI
TRIBAL RESEARCH AND
TRAINING INSTITUTE
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (छ.ग.)